भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2036
जिसका उत्तर गुरुवार, 05 अगस्त, 2021 को दिया जाना है

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय

2036. श्री टी. जी. वेंकटेश :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार से राज्य में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार द्वारा इस दिशा में कोई कार्रवाई की गई है/की जा रही है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : जी, हां । भारतीय राष्ट्रीय विधि विद्यालय, (एनएलएसआईयू) बैंगलोर की तरह आंध्र प्रदेश में एक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित करने के संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार से एक संसूचना प्राप्त हुई है । जैसे एनएलएसआईयू, भारतीय विधिज्ञ परिषद न्यास द्वारा रजिस्ट्रीकृत एक सोसाइटी नेशनल लॉ स्कूल आफ इंडिया सोसाइटी, द्वारा समर्थित है, वैसे ही आंध्र प्रदेश सरकार ने भारतीय विधिज्ञ परिषद से आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को उसी प्रकार संरक्षण देने के लिए अनुरोध किया है ।

(ग) : अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 7(1) (ज) के अधीन, विधि शिक्षा का उन्नयन करना और ऐसी शिक्षा प्रदान करने वाले भारत के विश्वविद्यालयों और राज्य विधिज्ञ परिषदों से विचार-विमर्श करके ऐसी शिक्षा के मानक निर्धारित करने का कार्य अन्नय रुप से भारतीय विधिज्ञ परिषद के क्षेत्राधिकार में आता है । तद्नुसार, आंध्र प्रदेश की संसूचना भारतीय विधिज्ञ परिषद को अग्रेषित की जा रही है ।

****